न्यायालय सिविल जज, (जू0डि0), बीसलपुर,पीलीभीत।

मूल वाद संख्या 113/2016

श्रीमती रामेश्वरी देवी आदि––बनाम––राकेश कमार मिश्रा।।

दिनांक 13.02.2020

पत्रावली आज आदेशार्थ प्रस्तुत। विगत तिथि पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 6ग मय आपत्ति 16ग पर सुना जा चुका है। पत्रावली का परिशीलन किया गया।

वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 6ग में संक्षिप्तः कथन किया गया है कि वादीगण एक किता दुकान स्थित मोहल्ला कटरा छोटा चौराहा बीसलपुर, पीलीभीत जिसकी चतुर्दिक सीमाएं–पूरब दुकान राकेश कुमार, पश्चिम दुकान साधना, उत्तर मकान सुनील कुमार वर्तमान में राकेश कुमार व दक्षिण बारह पत्थर रोड स्थित है, जिस पर वादीगण मु0 75/–रू0 प्रतिमाह मय जलकर व ग्रहकर के दर से किरायेदार चले आते है तथा प्रश्नगत दुकान का भू–स्वामी प्रतिवादी है। प्रश्नगत दुकान के किरायेदार वादीगण के पिता स्व0 राधेश्याम चले आते थे, उन्होने उक्त दुकान श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी ओम प्रकाश शर्मा सें किराये पर ली थी। राधेश्याम की मृत्यु के बाद वादीगण व अन्य पुत्रियॉ स्व0 राधेश्याम प्रश्नगत दुकान की किरायेदार चले आते है। स्व0 राधे श्याम प्रश्नगत दुकान पर वादीगण की मद्द से चूड़ी व अन्य सामान विक्रय करनें का व्यवसाय करते थे और उनकी मृत्यु के बार से उक्त व्यवसाय करते चले आ रहे है। प्रतिवादी ने प्रश्नगत दुकान दिनांक 21.07.2015 कोउसके पूर्व स्वामी से क्रय की थी, जिसकी सूचना वादीगण को होते ही वादीगण ने नेकनीयती से कई बार व्यक्तिगत रूप से प्रश्नगत दुकान का किराया प्रतिवादी को अदा करनें का प्रयास किया, परन्तु प्रतिवादी ने किराया प्राप्त करनें से कोई न कोई बहाना करके इन्कार कर दिया। मजबूरन वादीगण ने दिनांक 05.10.2015 को मनीआर्डर के द्वारा उन पर देय समस्त किराया प्रतिवादी को भेजा, जिसको कि प्रतिवादी ने दिनांक 06.10.2015 को लेने से इन्कार कर दिया। जिस कारण वादीगण ने एक आर0सी0सी0 वाद संख्या 05/2015 रामेश्वरी देवी व अन्य बनाम राकेश कुमार मिश्रा न्यायालय सिविल जज,जू0डि0,बीसलपुर, पीलीभीत में प्रस्तुत किया तथा जिसमें वादीगण नियमानुसार किराया जमा करते चले आ रहे है। प्रतिवादी के द्वारा दुकान क्रय करनें के बाद से ही वादीगण ने प्रश्नगत दुकान को खाली करनें हेतु दबाव बनाना शुरू कर दिया और कई बार उन्होने वादीगण को प्रश्नगत दुकान खाली कर कब्जा देने हेतु कहा, जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी से कहा कि प्रश्नगत दुकान पर किये जा रहे व्यवसाय से ही उनके व परिवार के सदस्यों का जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है और यदि प्रश्नगत दुकान उन्होने खाली करा ली तो वादीगण के पास अपने खाने पीने का कोई साधन नही रह जायेगा।

इसके विपरीत प्रतिवादी की ओर से आपत्ति 16ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादपत्र में वर्णित प्रश्नगत दुकान की चतुर्दिक सीमाए सत्य अंकित है। वादीगण द्वारा किराये की दर गलत बताई गयी है तथा ग्रहकर व जलकर किराये के अतिरिक्त देय है। वादीगण के साथ ही उनकी सभी बहिने व मॉ भी संयुक्त रूपसे उक्त दुकान की किरायेदार होती है। प्रश्नगत दुकान पर स्व0 राधेश्याम द्वारा चूडी का व्यवसाय किया जाता था परन्तु प्रश्नगत दुकान दिनांक 21.07.2015 को प्रश्नगत दुकान के पूर्व से प्रतिवादी द्वारा क्रय कर ली गयी है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी को कभी भी प्रश्नगत दुकान का किराया देने का प्रयास नही किया गया तथा न ही कभी आर्डर से प्रतिवादी को दुकान का किराया भेजा गया। वादीगण द्वारा आर0सी0सी0 का वाद गलत तथ्यों के आधार पर योजित किया गया है। प्रतिवादी द्वारा वादीगण की प्रश्नगत दुकान का कभी भी सामान नही फेका गया और न ही बल–प्रयोग किया गया है।

वादीगण की ओर से सूची 9ग/1 से आर0सी0सी0 वादपत्र, नकल

ग्रहकर निर्धारण रजिस्टर वर्ष 2012–13 की प्रमाणित नकले, मनीआर्डर रसीद, प्रभारी अधिकारी बीसलपुर व जिलाधिकारी, पीलीभीत व पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रतियॉ तथा प्रश्नगत दुकान के फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये है।

सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया।

वादीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त करने हेतु निम्न तीन बिन्दुओं को साबित करना होगा–

1– प्रथम दृष्टया मामला.

2– सुविधा का सन्तुलन. व

3– अपूर्णीय क्षति,

इसके साथ साथ वादीगण को साम्यता का तत्व भी दर्शित करना होता है।

जहॉ तक प्रथम दृष्टया मामले का प्रश्न है तो वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र यह कथन किया गया है कि वादीगण प्रश्नगत दुकान स्थित मोहल्ला बाजार कटरा, छोटा चौराहा बीसलपुर के मु0 75/–रू0 प्रतिमाह की दर से किरायेदार चले आते है तथा दुकान का भू–स्वामी प्रतिवादी है। प्रश्नगत दुकान वादीगण के पिता स्व0 राधेश्याम उसकी पूर्व स्वामी कृष्णा देवी से किराये पर ली थी। स्व0 राधेश्याम की मृत्यु के पश्चात् वादीगण उक्त दुकान में व्यवसाय करते चले आ रहे है। प्रतिवादी ने प्रश्नगत दुकान दिनांक 21.07.2015 को उसके पूर्व स्वामी से क्रय की थी। वादीगण ने प्रतिवादी को प्रश्नगत दुकान का किराया अदा करनें का प्रयास किया, परन्तु प्रतिवादी ने किराये लेने से इन्कार कर दिया, जिस कारण वादीगण ने एक आर0सी0सी0 वाद संख्या 05/2015 रामेश्वरी देवी व अन्य बनाम राकेश कुमार मिश्रा न्यायालय सिविल जज,जू0डि0,बीसलुपर में प्रस्तुत किया, जिसमें वादीगण नियमानुसार किराया जमा करते चले आ रहे है।

वादीगण ने आर0सी0सी0 वाद संख्या 07/2015 के प्रार्थना पत्र की सत्यापित प्रति कागज संख्या 9ग/3 को पत्रावली पर शामिल किया है। इसके अतिरिक्त वादीगण ने प्रतिवादी को भेजे गये मनीआर्डर व रजिस्ट्री रसीद की छायाप्रति कागज संख्या 9ग/7 को भी संलग्न पत्रावली किया है। जिसके अवलोकन से विदित है कि उस पर लेने से इन्कार किये जाने का पृष्ठांकन है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल ग्रहकर निर्धारण रजिस्टर वर्ष 2012–13 कागज संख्या 9ग/6 के अवलोकन से विदित है कि उसने प्रश्नगत दुकान के मालिक के रूप में श्रीमती कृष्णा देवी तथा उसके किरायेदार के रूप में राधेश्याम का नाम अंकित है। पत्रावली पर संलग्न कमीशन आख्या कागज संख्या 21ग में भी प्रश्नगत दुकान में बिक्री के लिए सामान के रखे होने तथा उक्त दुकान की छत व उत्तरी दीवार में सीलन होने का तथ्य न्यायालय अमीन द्वारा अंकित किया गया है। स्वयं प्रतिवादी ने भी अपनी आपत्ति संलग्न शपथ पत्र कागज संख्या 17ग में वादीगण के प्रश्नगत दुकान का किरायेदार होना स्वीकार किया है। उक्त समस्त प्रपत्रों तथा कमीशन आख्या के अवलोकन से वादीगण का प्रथम दृष्टया प्रश्नगत दुकान का किरायादार होना एवं उस पर काबिज होना सिद्ध होता है। अतः इस स्तर पर प्रथम दृष्टया वाद वादीगण के पक्ष में है।

जहॉ तक सुविधा के सन्तुलन का प्रश्न है तो चूँकि प्रथम दृष्टया वादीगण प्रश्नगत दुकान पर किरायेदार के रूप में काबिज है तथा उस पर व्यवसाय कर रहे है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी वादीगण के पक्ष में है।

यदि प्रतिवादी को दौरान वाद अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित नही किया गया तो वादीगण का वाद लाने का उद्देश्य विफल हो जायेगा तथा उन्हे अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः इस स्तर पर अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी वादीगण के पक्ष में है।

उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र 6ग स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 6ग स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी को दौरान वाद प्रश्नगत दुकान स्थित मोहल्ला बाजार कटरा, छोटा चौराहा बीसलपुर, पीलीभीत, पर वादीगण के व्यवसाय में व्यवधान उत्पन्न करनें तथा उन्हे बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल करनें से निषेधित किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 20.03.2020 को पेश हो।

(अनुपम सिंह)
दिनांकः13.02.2020 **सिविल जज, (जू0डि0),**
बीसलपुर, पीलीभीत।